



**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR**

S.B. Criminal Miscellaneous 2nd Bail Application No. 13692/2025
URN: CRLMB / 26460U / 2025

Satyam Bhadada S/o Shri Sanjay Bhadada

-----Petitioner

Versus

Union of India

-----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Ashish Gausinga, Adv. Mr. Ikhlaash Mohd. Adv. Mr. Giriraj Bardhar, Adv. Mr. Kapil Bardhar, Adv. Mr. Bhuwan Sharma, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Tej Prakash Sharma, SPP Mr. Pulkit Saini, Inspector, NCB Jaipur

HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA PRAKASH SHRIMALI

Order

08/07/2026

श्री पुलकित सैनी, Inspector, Narcotics Control Bureau न्यायालय के समक्ष उपस्थित। उनका कथन है कि प्रार्थी/अभियुक्त को दिनांक 03.08.2025 को एन.सी.बी. क्षेत्रीय कार्यालय से सांय 4.00 बजे गिरफ्तार किया गया।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अभिभाषक का कथन है कि प्रार्थी/अभियुक्त को उक्त प्रकरण में केलवा पुलिस थाना, राजसमन्द में दिनांक 02.08.2025 को गिरफ्तार किया गया था तथा वहां उसे हथकड़ी लगाकर रखा गया था। इस संबंध में उनके द्वारा अवैध गिरफ्तारी का प्रकरण भी प्रस्तुत किया गया था। इस संबंध में सी.सी.टी.वी. रिकॉर्डिंग विचारण न्यायालय में सीलबंद स्थिति में प्रस्तुत कर रखी है।



इस प्रकरण के अन्वेषण अधिकारी श्री पुलकित सैनी का कथन है कि उनके पास सी.सी.टी.वी. फुटेज व सी.डी. नहीं है और ना ही सी.सी.टी.वी. फुटेज से संबंधित फर्द विश्लेषण की प्रति है तथा ना ही अन्वेषण के दौरान उन्हें सी.सी.टी.वी. फुटेज की सी.डी. और उसके फर्द विश्लेषण की प्रति दी गयी है। विद्वान विचारण न्यायालय विशिष्ट न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस. केसेज), जयपुर महानगर प्रथम द्वारा एन.सी.बी. बनाम सत्यम भदादा प्रकरण संख्या 570/2025 में पारित आदेश दिनांक 18.02.2026 की पालना में सी.सी.टी.वी. रिकॉर्डिंग की सी.डी. विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है। अनुसंधान अधिकारी एन.सी.बी. क्षेत्रीय इकाई जयपुर द्वारा पत्र क्रमांक 455 दिनांक 02.04.2026 थानाधिकारी पुलिस थाना कैलवा, जिला राजसमंद को लिखा गया था, जिसमें एन.सी.बी. क्षेत्रीय इकाई, जयपुर के प्रकरण संख्या 9/2025 के संबंध में पुलिस थाना कैलवा के सी.सी.टी.वी. कैमरे की रिकॉर्डिंग व डाटा दिनांक 02.08.2025 को सांय 4.00 बजे से दिनांक 03.08.2025 को रात्रि 3.00 बजे तक की अवधि की रिकॉर्डिंग न्यायालय को देने का निवेदन किया गया था।

अन्वेषण अधिकारी व विद्वान विशेष लोक अभियोजक का कथन है कि एकलपीठ आपराधिक विविध याचिका संख्या 2023/2026 में पारित आदेश दिनांक 01.04.2026 की पालना में एन.सी.बी. द्वारा सी.सी.टी.वी. रिकॉर्डिंग की सी.डी. सीलबंद अवस्था में विचारण न्यायालय में प्रस्तुत कर दी गयी है। विद्वान विशेष लोक अभियोजक के अनुसार उनके पास उक्त सी.सी.टी.वी. रिकॉर्डिंग की सी.डी. और उसका फर्द विश्लेषण नहीं है।

ऐसे में पुलिस अधीक्षक, राजसमंद को आदेशित किया जाता है कि वह एन.सी.बी. क्षेत्रीय इकाई, जयपुर के प्रकरण संख्या 9/2025 के संदर्भ में दिनांक 02.08.2025 को सांयकाल 4.00 बजे से दिनांक 03.08.2025 की रात्रि



3.00 बजे तक की अवधि की पुलिस थाना केलवा के सी.सी.टी.वी. कैमरे की रिकॉर्डिंग/डाटा का **फर्द विश्लेषण** इस न्यायालय के समक्ष आगामी तारीख पेशी पर प्रस्तुत करें।

आगामी तारीख पेशी पर फर्द विश्लेषण रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करने पर थानाधिकारी, पुलिस थाना केलवा स्वयं न्यायालय में उपस्थित होकर अपने स्पष्टीकरण सहित तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक को निर्देश दिया जाता है कि उक्त आदेश की पालना करवाये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करें।

इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.07.2026 की पालना में विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा सीलबंद स्थिति में एक लिफाफा प्रस्तुत किया गया है, जो इस प्रकरण में दिनांक 03.08.2025 को प्रार्थी/अभियुक्त को गिरफ्तार किये जाने से संबंधित है। उक्त सीलबंद लिफाफा न्यायालय में नहीं खोला गया, जो इसी अवस्था में पत्रावली में संलग्न किया जावे तथा न्यायालय के आदेश के बिना उक्त लिफाफा नहीं खोला जावे।

प्रकरण दिनांक 16.07.2026 को पुनः सूचीबद्ध किया जावे।

(CHANDRA PRAKASH SHRIMALI),J

MANISH SAINI/100 (S)